तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हनुमानसिंह. बनाम लो.सू.अधिकारी (तहसीलदार ओसियां) सू.अ.अ.अपील सं0 146/2023 (ऑनलाईन नं. 353223581357961)	
24.08.23	अपीलार्थी हनुमानसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह, निवासी तेजा नगर, नेवरागांव तहसील ओसियां जिला जोधपुर (ग्रामीण) ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 20.04.23. में उसके द्वारा (1) ग्राम पंचायत नेवरा से संबंधित सार्वजनिक भूमियों पर हुए अतिक्रमणों की शिकायत पीएलपीसी के माध्यम से कार्यालय को कितनी प्राप्त हुई, व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार ओसियां) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार ओसियां) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार ओसियां) से जरिये पत्रांक 465 दिनांक 08.08.23 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के पेरा सं0 1 से 7 के कथन प्रश्नोत्तर प्रकृति के है। सूचना का अधिकार अधि. की धारा 2(च) में यथा परिभाषित सूचना में प्रश्नोत्तर सामिल नहीं है। परिणामतः इन्ही विधिक प्रावधानों के अनुसरण में ही प्रशासनिक सुधार विभाग जयपुर द्वारा जारी परिपत्र कमांक प 3(22)प्रसू/सूअप्र/06 दिनांक 02.02.2009 के अनुसार ऐसे प्रश्नों का जबाब सूचना का अधिकार अधि. 2005 में आवरित नहीं है। अपीलार्थी ने बिन्दु संख्या 1 में ग्राम पंचायत नेवरा से संबंधित सार्वजनिक भूमियों पर हुए अतिक्रमणों की शिकायत पीएलपीसी के माध्यम से कार्यालय को कितनी प्राप्त हुइ, जो एक ग्राम से संबंधित ही है तथा उक्त सूचना प्रश्नात्मक न होकर तथ्यात्मक सूचना की श्रेणी में आती है अतः तथ्यात्मक सूचना दिये जाने योग्य है। द्वितीयत लोक सूचना अधिकारी ने सूचना नहीं दिये जाने बाबत् प्रार्थी को किसी प्रकार से जबाब नहीं देना विधिक प्रावधानों का आत्मसात् नहीं करने का फल है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार ओसियां) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध कराई जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमांशु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण)	

जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)